न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32/2020 पीडीआर एक्ट

उनवान

नगर परिषद भीलवाडा जरिये आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

एच.एम.बी. इन्टरप्राइेजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल निवासी फस्ट फ्लोर, अजमेरा भवन, यूको बैंक के पास, पेच एरिया, नागौरी गार्डन, भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी – राजेन्द्र कचौलियॉ, छोटूलाल माली।
2. अधिवक्ता विपक्षी – सुरेश चेचाणी, दीपक कोठारी।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 07/01/2026

1– प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि– प्राथी नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सत्र 2019–20 के लिये विधूत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने हेतु एक साथ निलामी दिनाक 06.02.2019 को लगाई गई जिसमें विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल ने भी निलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन के लिये निलामी बोली छुडाई गई।

2– विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल ने प्रार्थी के यहाँ निलामी बोली छुडाने के बाद उसकी कोई बकाया राशि जमा नहीं कराई और सत्र 2019–20 के लिये विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन को काम लेकर विज्ञापन लगाने लगे और लोंगों से पैसा लेने लगे परन्तु कोई राशि प्रार्थी के यहाँ जमा नहीं कराई।

3– प्रार्थी के कार्यालय के यहाँ से विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल को कही नोटिस जारी किये गये जिनका विवरण निम्न है–पत्र क्रमांक/नपभी/राजस्व /2019/17648 दिनाक 21.02.2019, नोटिस क्रमांक/नपभी /राजस्व /2019/815 दिंनाक 15.04.2019 व नोटिस क्रमांक/नपभी/राजस्व/2019/2574 दिंनाक 30.05.2019 व नोटिस क्रमांक/नपभी / राजस्व/2020/20679 दिनाक 24.01. 2020 व अन्तिम नोटिस कमांक/नपभी/राजस्व/2020/1363–98 दिनाक 20.05.2020 उक्त सभी नोटिस विपक्षी को जारी कर दिया प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 34,35,844/– ब्याज व जी.एस.टी. सहीत बकाया है। विपक्षी द्वारा उक्त राशि में से 1/4 राशि जमा कराई तथा शेष 3/4 राशि को जमा कराने हेतु जारी गया था।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

4— विपक्षी को प्रार्थी द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल द्वारा कोई राशि प्रार्थी कार्यालय नगर परिषद भीलवाडा के यहाँ जमा नही कराई है। उक्त सरकारी बकाया राशि की वसूली हेतु प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

5— विपक्षी मदयून का माल, बैंक खाते से व धन, बैंक नोट बैंक विनिमय पत्र हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जावे।

अतः प्रार्थी की और प्रस्तुत वसूली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल से सत्र 2019—20 की नगर परिषद क्षेत्र में विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने के लिये निलामी छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 34,35,844/— रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत उक्त राशि में से 1/4 राशि जमा कराई तथा शेष 3/4 राशि को वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया जावे तथा वसूल नहीं होने पर विपक्षी मदयून का माल, बैंक खातें से व धन, बैंक नोट चैक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

6— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 27.08.2020 को पजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाने पर आदेशिका दिनांक 11.11.2025 से जवाब बंद किया गया। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन पर पत्रावली में आदिनांक तक कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है।**

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि— विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल से सत्र 2019—20 की नगर परिषद क्षेत्र में विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने के लिये निलामी छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 34,35,844/— रूपये मय ब्याज व जी. एस.टी. सहीत उक्त राशि में से 1/4 राशि जमा कराई तथा शेष 3/4 राशि को वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया विपक्षी मदयून का माल, बैंक खातें से व घन, बैंक नोट चैक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

7— **उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि—** प्राथी नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सत्र 2019—20 के लिये विधूत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने हेतु एक साथ निलामी दिनाक 06.02.2019 को लगाई गई, जिसमें विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल ने भी निलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने के लिये निलामी बोली छुडाई गई। प्रार्थी द्वारा विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल को कही नोटिस जारी किये गये। जिसकी बकाया राशि कुल 34,35,844/— रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत उक्त राशि में से 1/4 राशि जमा कराई तथा शेष बकाया 3/4 राशि को वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 (पीडीआर एक्ट) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार किया जाता है। विपक्षी एच.एम.बी. इन्टरप्राइजेज प्रोपराईटर हेमन्त कुमार बाबेल निवासी फस्ट फ्लोर, अजमेरा भवन, यूको बैंक के पास, पेच एरिया, नागौरी गार्डन, भीलवाडा, जिला भीलवाडा से 34,35,844/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत उक्त राशि में से 1/4 राशि जमा कराई तथा शेष बकाया 3/4 राशि को वसूली योग्य ठहरती है। मांग राशि 34,35,844/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहित उक्त राशि में से 1/4 राशि जमा कराई तथा शेष बकाया 3/4 राशि के 02 प्रतिशत खर्चा राशि वसूल करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व लेखा अनुभाग, जिला कलेक्ट्रेट भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड नगर निगम भीलवाडा जरिये आयुक्त, नगर निगम भीलवाडा को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा